"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 15] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 11 अप्रैल 2014—चैत्र 21, शक 1936

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 29 मार्च 2014

क्रमांक ई-1-04/2014/एक/2.—राज्य शासन द्वारा श्री टी. राधाकृष्णन, भा.प्र.से. (सी.जी. : 1978), अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संचालक, आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

राज्य शासन भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2007 के नियम 9 के तहत संचालक, आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी म भारतीय प्रशासनिक सेवा के मुख्य सचिव वेतनमान के समकक्ष घोषित करता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.

2. राज्य शासन द्वारा श्री दिनेश श्रीवास्तव, भा.प्र.से. (सी.जी. : 1992), सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

यह आदेश दिनांक 1-04-2014 से प्रभावशील रहेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढांड, मुख्य सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 24 मार्च 2014

क्रमांक एफ-1-1/2013/1/5.—चूंकि, भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या ECI/PN/10/2014, दिनांक 05 मार्च, 2014 द्वारा राज्य के समस्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों हेतु लोक सभा आम चुनाव-2014 के कार्यक्रम के संबंध में जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में मतदान 03 चरणों में सम्पन्न होगा. प्रथम चरण के अंतर्गत 10-बस्तर (अ.ज.जा.) लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान की तिथि 10 अप्रैल, 2014 एवं द्वितीय चरण के अंतर्गत 06-राजनांदगांव, 09-महासमुन्द एवं 11-कांकेर (अ.ज.जा.) लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान की तिथि 17 अप्रैल, 2014 तथा तृतीय चरण के अंतर्गत लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र 01-सरगुजा (अ.ज.जा.), 02-रायगढ़ (अ.ज.जा.), 03-जांजगीर-चांपा (अ.जा.), 04-कोरबा, 05-बिलासपुर, 07-दुर्ग एवं 08-रायपुर में मतदान की तिथि 24 अप्रैल, 2014 नियत की गई है.

2. अतएव राज्य शासन एतद्द्वारा भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 20-25-56-पब-एक, दिनांक 08 जून, 1957 के साथ पढ़ी गई परक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इस्ट्रूमेंट्स एक्ट), 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लोक सभा आम चुनाव, 2014 के सिलसिले में उपरोक्त लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हेतु संबंधित निम्नांकित जिलों में नियत मतदान की नियत तिथि को स्थानीय अवकाश/सार्वजनिक अवकाश घोषित करता है :—

क्र. (1)	लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम (2)	मतदान की तिथि (3)	जिला का नाम जहां स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है. (4)
1.	10-बस्तर (अ.ज.जा.)	गुरुवार, 10 अप्रैल, 2014	1. कोण्डागांव (विधान सभा क्षेत्र केशकाल को छोड़कर) 2. नारायणपुर 3. बस्तर 4. दंतेवाड़ा 5. बीजापुर 6. सुकमा
2.	06-राजनांदगांव	गुरुवार, 17 अप्रैल, 2014	1. कबीरधाम 2. राजनांदगांव
3.	09-महासमुन्द	गुरुवार, 17 अप्रैल, 2014	1. महासमुन्द 2. गरियाबंद 3. धमतरी
4.	11-कांकेर (अ.ज.जा.)	गुरुवार, 17 अप्रैल, 2014	1. धमतरी 2. बालोद 3. कांकेर 4. कोण्डागांव (विधान सभा क्षेत्र कोण्डागांव को छोड़कर)

(1)	(2)	(3)	(4)
5.	01–सरगुजा (अ.ज.जा.)	गुरुवार, 24 अप्रैल, 2014	1. कोरिया 2. सूरजपुर 3. बलरामपुर 4. सरगुजा
6.	02–रायगढ़ (अ.ज.जा.)	गुरुवार, 24 अप्रैल, 2014	1. जशपुर 2. रायगढ़
7.	03–जांजगीर–चांपा (अ.जा.)	गुरुवार, 24 अप्रैल, 2014	1. जांजगीर–चांपा 2. बलौदाबाजार
8.	04–कोरबा	गुरुवार, 24 अप्रैल, 2014	1. कोरिया 2. कोरबा 3. बिलासपुर
9.	05–बिलासपुर	गुरुवार, 24 अप्रैल, 2014	1. बिलासपुर 2. मुंगेली
10.	07–दुर्ग	गुरुवार, 24 अप्रैल, 2014	1. दुर्ग 2. बेमेतरा
11.	08–रायपुर	गुरुवार, 24 अप्रैल, 2014	1. रायपुर 2. बलौदाबाजार

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, अपर सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 25 मार्च 2014

क्रमांक एफ-7-01/2014/एक-14/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री आर. सी. श्रीवास्तव, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, अ.अ.वि., पुलिस मुख्यालय, रायपुर को दिनांक 17-02-2014 से दिनांक 20-02-2014 तक (04 दिवस) लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. लघुकृत अवकाश काल में श्री आर. सी. श्रीवास्तव को अवकाश वेतन भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने से पूर्व मिलते थे.

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. सी. श्रीवास्तव लघुकृत अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. सोनी, अवर सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 19 मार्च 2014

क्रमांक एफ 2-8/2012/1-8.—श्री आर. के. टंडन (राप्रसे, आर. आर.-89, अधिसमय वेतनमान), संयुक्त सचिव, छ.ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग के भारतीय पुलिस सेवा एवं भारतीय वन सेवा की स्थापना का कार्य सौंपा जाता है.

नया रायपुर, दिनांक 21 मार्च 2014

क्रमांक 282/158/अव./2014/1-8/स्था.—श्री जी. आर. मालवीय, उप सचिव, श्रम विभाग को दिनांक 28-02-2014 से 07-03-2014 तक 08 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 08, 09-03-2014 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री जी. आर. मालवीय आगामी आदेश तक उप सचिव, श्रम विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री मालवीय को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मालवीय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 21 मार्च 2014

क्रमांक 284/49/अव./2014/1-8/स्था.—श्री एस. के. चौधरी, उप सचिव, उच्च शिक्षा विभाग को दिनांक 16-12-2013 से 17-12-2013 तक 02 दिवस एवं दिनांक 30-12-2013 से 04-01-2014 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 14, 15, 18, 29-12-2013 तथा 05-01-2014 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. चौधरी आगामी आदेश तक उप सचिव, उच्च शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री चौधरी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री चौधरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 21 मार्च 2014

क्रमांक 286/402/अव./2014/1-8/स्था.—श्री आलोक कुमार राय, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, वित्त विभाग को दिनांक 25-03-2013 से 30-03-2013 3क 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 24, 31-03-2013 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री आलोक कुमार राय आगामी आदेश तक विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री राय को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 21 मार्च 2014

क्रमांक 288/170/अव./2014/1-8/स्था.—श्री मुकुंद गजभिये, अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 24-03-2014 से 17-04-2014 तक 25 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 23-03-2014 तथा 18, 19, 20-04-2014 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री मुकुंद गजभिये आगामी आदेश तक अवर सचिव, सामान्य प्रशायन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री गजभिये को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गजभिये अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 21 मार्च 2014

क्रमांक 290/172/अव./2014/1-8/स्था.—श्री प्रदीप कुमार दवे, संयुक्त सचिव, कृषि विभाग को दिनांक 04-04-2014 से 15-04-2014 तक 12 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री प्रदीप कुमार दवे आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, कृषि विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री दवे को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री दवे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 21 मार्च 2014

क्रमांक 292/148/अव./2014/1-8/स्था.—श्री आनन्द राम रात्रे, उप संचालक, मुख्यमंत्री सचिवालय को दिनांक 10-02-2014 से 22-02-2014 तक 13 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 08, 09, 23-02-2014 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री आनन्द राम रात्रे आगामी आदेश तक उप संचालक, मुख्यमंत्री सचिवालय के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री रात्रे को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रात्रे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 24 मार्च 2014

क्रमांक 294/132/अव./2014/1-8/स्था.—श्री बी. आर. साहू, स्टॉफ ऑफिसर, सचिव, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग को दिनांक 03-02-2014 से 14-02-2014 तक 12 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 02, 15, 16-02-2014 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री बी. आर. साहू आगामी आदेश तक स्टॉफ ऑफिसर, सचिव, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री बी. आर. साहू को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री साहू अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 24 मार्च 2014

क्रमांक 296/144/अव./2014/1-8/स्था.—श्री गोपाल सिंह, अवर सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्त संरक्षण विभाग को दिनांक 15-04-2014 से 30-04-2014 तक 16 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 12, 13, 14-04-2014 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री गोपाल सिंह आगामी आदेश तक अवर सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री सिंह को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 24 मार्च 2014

क्रमांक 298/897/अव./2013/1-8/स्था.—श्री हरीश कुमार उइके, स्टॉफ ऑफिसर, सचिव, कृषि एवं ग्रामोद्योग विभाग को दिनांक 19-12-2013 से 24-12-2013 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 18, 25-12-2013 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री हरीश कुमार उइके आगामी आदेश तक स्टॉफ ऑफिसर, सचिव, कृषि एवं ग्रामोद्योग विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री हरीश कुमार उइके को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री उइके अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 27 मार्च 2014

क्रमांक 300/86/अव./2014/1-8/स्था.—श्री बी. एल. सोनी, अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 15-04-2014 से 17-04-2014 तक 03 दिवस एवं दिनांक 05-05-2014 से 31-05-2014 तक 27 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 12, 13, 14, 18, 19-04-2014 एवं 04-05-2014, 01-06-2014 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री बी. एल. सोनी आगामी आदेश तक अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री सोनी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सोनी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तीरथ प्रसाद लड़िया, अवर सचिव

विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 फरवरी 2014

क्रमांक 1413/143/21-ब/छ.ग./2014.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये राज्य शासन, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के परामर्श से महाधिवक्ता कार्यालय, बिलासपुर में पदस्थ निम्नलिखित सारणी के क्रमांक (2) में वर्णित विधि अधिकारियों को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय हेतु अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है :—

क्र.	विधि अधिकारी का नाम	पद नाम
1.	श्री अरूण साव	उप महाधिवक्ता
2.	श्री रमाकांत मिश्रा	उप महाधिवक्ता
3.	श्री सुनील काले	उप महाधिवक्ता
4.	श्री अरूण सिंह	शासकीय अधिवक्ता
5.	श्री अनिल पाण्डेय	शासकीय अधिवक्ता

F. No. 1413/143/21-B/C.G./2014.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974) the State Government, after consultation with the High Court of Chhattisgarh appoints the Law Officers of Advocate General Office, Bilaspur specified in column No. (2) as Additional Public Prosecutors for conducting, appeal or other proceeding on behalf of State Government in the High Court of Chhattisgarh, namely :—

No.	Name of Law Officers	Designation
1.	Shri Arun Saw	Duputy Advocate General
2.	Shri Ramakant Mishra	Duputy Advocate General
3.	Shri Sunil Kale	Duputy Advocate General
4.	Shri Arun Singh	Govt. Adovcate
5.	Shri Anil Pandey	Govt. Adovcate

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सामंतराय, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 19 फरवरी 2014

क्रमांक 1606/271/21-ब/2014.—भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872 (क्र. 15 सन् 1872) की धारा 6 तथा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, धर्म-कर्म कराने वाले (मिनिस्टर ऑफ रिलीजन) पास्टर जीजीकेल डेनियल, एप्राता गास्पल सोसल सर्विस सोसाईटी, धनपुंजी, जगदलपुर को छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर (जगदलपुर) जिले में :—

1. विवाह अनुष्ठापित कराने और

2. भारतीय क्रिश्चियनों (ईसाईयों) के बीच होने वाले विवाहों के प्रमाण-पत्र देने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर (जगदलपुर) जिले लिए अनुज्ञप्ति मंजूर करता है.

No. 1606/271/21-B/2014.—In exercise of the powers conferred by section 6 and 9 of the Indian Christian Marriage Act 1872 (No. 15 of 1872), the State Government is pleased to grant license to (Minister of Religion) Paster Jijikel Daniel, Ephrathah Gospel Social Service Society, Dhanpunji for District Bastar (Jagdalpur) of State of Chhattisgarh :—

1. to Solemnize Marriage; and

2. to grant Certificate of marriages solemnised between the Indian Christians.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

Raipur, the 20th February 2014

No. 1720/360/XXI-B/C.G./2014.—With reference to the matter under reference, it is to inform that Home District of Shri Subodh Mishra is as shown in the table below :

S. No.	Name	Home District
1.	Shri Subodh Mishra	Bilaspur (Chhattisgarh)

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SUSHMA SAWANT, Additional Secretary.

रायपुर, दिनांक 4 मार्च 2014

क्रमांक 2109/3995/21-ब/छ.ग./2014.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री संयज कुमार पाण्डेय, नोटरी तह. बिलासपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) की मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप नोटरी रजिस्टर से उनका नाम विलोपित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एन. त्रिपाठी, उप-सचिव.

वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 22 फरवरी 2014

क्रमांक एफ 06-02/2014/वा.क. (पंजी.)/पांच.—राज्य शासन एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा मुख्य परीक्षा वर्ष-2011 तथा साक्षात्कार, के परिणाम के आधार पर वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग में जिला पंजीयक के पद पर नियुक्ति के लिए अनुशंसित किए गए निम्नांकित अभ्यर्थियों को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, दो वर्ष परिवीक्षा पर जिला पंजीयक के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैण्ड रुपये 15,600-39100, ग्रेड वेतन रुपये 5400/- में अनन्तिम (provisional)

रूप से नियुक्त किया जाता है, तथा उनकी पदस्थापना जिला पंजीयक के रूप में उनके सम्मुख कॉलम 5 में दर्शाये जिले में की जाती है :—

स. क्र.	लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित सूची का सरल क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम एवं वर्तमान डाक का पता	श्रेणी	प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना का जिला अर्थात् जहां से वेतन आहरित होगा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	8	श्री दीपक कुमार मंडावी पिता-श्री रामजान मंडावी, रूद्र चोक के पास विकास विहार रायपुरा, जिला रायपुर (छ.ग.) पिन नं. 492013	अ.ज.जा.	कार्यालय वरिष्ठ जिला पंजीयक रायपुर (छ.ग.)

2. (a) आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी द्वारा उसकी जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन स्वत: छानबीन समिति से करवाकर दो माह के भीतर इस विभाग को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और यदि उक्त नियत अवधि में अभ्यर्थी छानबीन समिति द्वारा सत्यापित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है अथवा छानबीन समिति द्वारा सत्यापन के उपरांत उसका जाति प्रमाण पत्र फर्जी/गलत पाया जाता है तो बिना कोई कारण बताए पूर्वाग्रह के बिना इस विभाग द्वारा उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही भी की जा सकेगी.

(b) आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को यह दायित्व होगा कि वह छानबीन समिति द्वारा चाहे गए सभी आवश्यक दस्तोवज/रिकार्ड एवं जानकारियां अपने जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु छानबीन समिति को उपलब्ध करायेगा.

3. उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारी को जब छ.ग. प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर में प्रशिक्षण हेतु बुलाया जाएगा, तब वे अपनी उपस्थिति जिले से प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर में देकर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे.

4. परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित प्रशिक्षण, महानिदेशक, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर (छ.ग.) में प्राप्त करना अनिवार्य होगा और प्रशिक्षण के पश्चात् अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में अनिवार्यत: सम्मिलित होकर परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा. प्रशासन अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में प्रथम बार में असफल होने पर अधिकारी को अकादमी में आगामी प्रशिक्षण में सम्मिलित होकर पुन: परीक्षा उत्तीर्ण करने के निर्देश दिए जा सकेंगे.

5. परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षावधि में उच्च मानकों द्वारा निर्धारित विभागीय परीक्षाएं भी उत्तीर्ण करनी होगी. नियुक्ति प्राधिकारी पर्याप्त कारणों से एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए परिवीक्षावधि को बढ़ा सकेगा, इसके उपरांत भी विहित विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण न करने पर सेवायें तत्काल समाप्त की जायेगी.

6. अभ्यर्थी को निर्धारित मापदंड अनुसार आचरण व चरित्र का पुलिस सत्यापन भी करवाया जायेगा. यदि पुलिस सत्यापन में अधिकारी को सेवा के लिए अनुपयुक्त पाये जाने पर, नियुक्ति प्राधिकारी के विचार में यदि, उसका उपयुक्त शासकीय सेवक बनना संभव न होना पाया जाएगा तो, उसकी सेवाएं नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समाप्त की जा सकेगी.

7. शासकीय सेवा के दौरान उपरोक्त अधिकारीगण "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 एवं छत्तीसगढ़ पंजीयन एवं मुद्रांक (राजपत्रित) सेवा वर्ग-2 के प्रावधानों के तहत् शासित होंगे.

8. उपरोक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति राज्य या संभागीय "मेडिकल बोर्ड" से चिकित्सीय योग्यता प्रमाण पत्र (मेडिकल फिटनेस सर्टीफिकेट) प्राप्त करने की अपेक्षा में की जाती है. अत: अभ्यर्थीगण राज्य या संभागीय मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण कराकर मेडिकल फिटनेस सर्टीफिकेट तत्काल विभाग में प्रस्तुत करेंगे. बिना चिकित्सा योग्यता प्रमाण पत्र के वेतन आहरण नहीं किया जायेगा. तथा कार्य की गई अवधि का कोई वेतन दये नहीं होगा. "मेडिकल बोर्ड" द्वारा अयोग्य पाये जाने की दशा में अभ्यर्थी की सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी जावेगी.

9. उपरोक्त अभ्यर्थी को संबंधित जिला कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के समय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक छ.ग. रायपुर के समक्ष मूल (स्थानीय) निवासी प्रमाण पत्र तथा शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. अभ्यर्थी द्वारा आयोग को नियुक्ति के पूर्व दी गई कोई भी जानकारी/प्रमाण पत्र गलत पाये जाने पर उसे बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी.

10. जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र के पूर्ण सत्यापन के उपरांत ही संबंधित कर्मचारी की नियुक्ति को अंतिम रूप से मान्य किए जाने पर विचार किया जाएगा.

11. चयनित अधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संलग्न प्रारूप में एक बॉण्ड शासन के पक्ष में निष्पादित करना भी आवश्यक होगा कि वह परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूर्ण न कर पाने की दशा में परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा उस पर खर्च की गई राशि जिसमें वेतन, भत्ते एवं यात्रा व्यय शामिल होगा, की वापसी के लिए उत्तरदायी रहेगा.

12. चयनित आवेदक की परस्पर वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा जारी की गई चयन सूची के अनुसार ही निर्धारित रहेगी.

13. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पद पर नियुक्ति के संबंध में आरक्षण नियमों एवं आदेशों का पालन किया गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 फरवरी 2014

क्रमांक/एफ 7-29/2013/32.—इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 3-39-बत्तीस-96, दिनांक 23 अगस्त, 1996 द्वारा जशपुर निवेश क्षेत्र का गठन करते हुए उसकी सीमाएं परिनिश्चित की गई है, में छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 (2) (क) के अंतर्गत राज्य शासन उक्त निवेश क्षेत्र की सीमाओं का पुनर्गठन करते हुये नीचे दी गई अनुसूची पुनरीक्षित सीमाएं परिनिश्चित करता है :—

अनुसूची

जशपुर निवेश क्षेत्र की पुनरीक्षित सीमाएं

उत्तर में : ग्राम नवाटोली, दासडूमरटोली, बधिमा एवं टिकैतगंज ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में : ग्राम टिकैतगंज, डिपाठोली, गम्हरिया एवं बालाछापर ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में : ग्राम बालाछापर, कनमोरा एवं जोबला ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम में : ग्राम जोबला, सारूडीह, कोमडो, बम्हनीडॉड, भमरी एवं नवाटोली ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, उप-सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 फरवरी 2014

क्रमांक एफ 1-78/2012/16.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ श्रम सेवा (अराजपत्रित) तृतीय श्रेणी सेवा में भर्ती तथा सेवा की शर्तों के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :—** (1) ये नियम छत्तीसगढ़ श्रम सेवा (अराजपत्रित) तृतीय श्रेणी भर्ती नियम, 2014 कहलायेंगे।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं :—** इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है श्रमायुक्त और ऐसा अन्य प्राधिकारी जिसे सेवा या पदों में नियुक्ति करने हेतु शासन द्वारा नामांकित किया गया हो;

(ख) "परीक्षा" से अभिप्रेत है इन नियमों के नियम 11 के अधीन सेवा में भर्ती के लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षा;

(ग) "शासन" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;

(घ) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल;

(ड) "अन्य पिछड़े वर्ग" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-8-5-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

(च) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(छ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;

(ज) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;

(झ) "चयन समिति" से अभिप्रेत है इन नियमों के अधीन सीधी भर्ती या पदोन्नति के प्रयोजन के लिये नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गठित चयन समिति;

(ञ) "सेवा" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ श्रम सेवा (अराजपत्रित) तृतीय श्रेणी सेवा;

(ट) "राज्य" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य।

3. **विस्तार तथा लागू होना.**— छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

4. **सेवा का गठन.**— सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थात्:—

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय, अनूसूची—एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूलतः धारण कर रहे हों;

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किए गये हों; और

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किए गये हों।

5. **वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि.**— सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या और उससे संलग्न वेतनमान, अनुसूची—एक में विनिर्दिष्ट अनुसार होगा:

परन्तु शासन, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा वेतनमान में, समय—समय पर, या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर, वृद्धि या कमी कर सकेगा।

6. **भर्ती का तरीका.**— (1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात्:—

(क) प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से अथवा मेरिट एवं साक्षात्कार के आधार पर चयन के माध्यम से, सीधी भर्ती द्वारा;

(ख) अनुसूची—चार के अनुसार सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण, जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पदों को मूल या स्थानापन्न हैसियत में धारण करते हों, जैसा कि इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाये।

(2) उप—नियम (1) के खण्ड (ख) या (ग) के अधीन भर्ती किए गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची—एक में यथा विनिर्दिष्ट कर्तव्य पदों की संख्या के, अनुसूची—दो में दर्शाये गये प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी।

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के लिए अपेक्षित सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को, भरे जाने के प्रयोजन के लिये अपनायी जाने वाली भर्ती का तरीका या तरीके तथा ऐसे तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा शासन के परामर्श से अवधारित की जाएगी।

(4) उप–नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो, तो नियुक्ति प्राधिकारी, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति से सेवा में भर्ती के उन तरीकों को छोड़ जिनको उक्त उप–नियम में विनिर्दिष्ट किया गया है, ऐसे तरीके अपना सकेगा, जिसे वह इस निमित्त जारी किए गये आदेश द्वारा विहित करे।

(5) सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए मेरिट के आधार पर चयन हेतु मापदण्ड, शासन द्वारा विहित किया जायेगा। तथापि नियुक्ति प्राधिकारी के लिये यह आवश्यक होगा कि इस प्रयोजन के लिये एक चयन समिति गठित करे, जो इन मापदण्डों से भिन्न कोई अन्य युक्तिसंगत मापदण्ड शासन की सहमति से अपना सकेगी।

(6) सेवा में भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के प्रावधान तथा इस अधिनियम के अधीन शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश (यथा संशोधित) लागू होंगे।

7. **सेवा में नियुक्ति.**– इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति, नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं।

8. **सीधी भर्ती के लिये पात्रता की शर्तें.**– सीधी भर्ती या चयन हेतु पात्र होने के लिए, अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात्:–

(एक) आयु– (क) वर्ष, जिसमें पद हेतु विज्ञापन प्रकाशित होता है, की जनवरी के प्रथम दिन को अभ्यर्थी ने अनुसूची–तीन के कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट आयु

पूरी कर ली हो तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो।

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) का हो, तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 (पांच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा 10 (दस) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(घ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों अथवा रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उच्चतर आयु सीमा शिथिलनीय होगी:–

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो छत्तीसगढ़ का स्थायी/अस्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये;

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत, आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी;

(तीन) ऐसा अभ्यर्थी, जो "छंटनी किया गया शासकीय सेवक" हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गयी संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 (सात) वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गयी सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 (तीन) वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण– शब्द "छंटनी किये गये शासकीय सेवक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किन्हीं भी संघटक इकाइयों

की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम 6 (छः) माह की कालावधि तक निरंतर रहा हो और जिसे किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक 3 (तीन) वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(ड.) ऐसा अभ्यर्थी, जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 (तीन) वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण– शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम 6 (छः) माह की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसे किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक 3 (तीन) वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के परिणामस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी किया गया हो अथवा जिसे अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो:–

(एक) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व संवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आऊट कन्सेशन) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो;

(दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो, और जिन्हें–

(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर;

(ख) नामांकन की शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो;

(तीन) मद्रास सिविल यूनिट के भूतपूर्व कार्मिक;

(चार) ऐसे भूतपूर्व सैनिक (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किया गया हो, (जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं);

(पांच) ऐसे भूतपूर्व सैनिक/अधिकारी जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर 6 (छः) माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो;

(छः) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो;

(सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि वे अब दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं;

(आठ) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।

(च) उन अभ्यर्थियों के लिये भी, जो परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन ग्रीनकार्ड धारक हैं, उच्चतर आयु सीमा 2 (दो) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(छ) अस्पृश्यता निवारण नियम, 1984 के अधीन अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 (पांच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ज) शहीद राजीव पांडे सम्मान, गुण्डाधूर सम्मान एवं महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवा अभ्यर्थियों के संबंध में भी उच्चतर आयु सीमा 5 (पांच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(झ) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में, जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी।

(ञ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नॉन कमीशंड अधिकारियों के मामले में, उनके द्वारा इस प्रकार की गई नगर सेना सेवा की कालावधि के लिये, उच्चतर आयु सीमा में, 8 (आठ) वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए, छूट दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

टीप– (1) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें उपरोक्त नियम 8 (घ) (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन परीक्षा/चयन में प्रवेश दिया गया हो, यदि वे आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात्, या तो परीक्षा/चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं, तो वे नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे।

तथापि, यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् सेवा या पद से उनकी छंटनी कर दी जाती हो, तो वे पात्र बने रहेंगे।

(2) किसी भी अन्य मामले में ये आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जायेंगी। विभागीय अभ्यर्थियों को परीक्षा/चयन हेतु उपस्थित होने के लिए, नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी।

(ट) अभ्यर्थी जिन्हें उनके संवर्ग (जैसे– अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला /विधवा/तलाकशुदा इत्यादि) के आधार पर अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ अभिप्राप्त हैं, को अधिकतम आयु सीमा में उपलब्ध अतिरिक्त छूट हमेशा की तरह मिलती रहेगी, किन्तु उपरोक्त उल्लिलिखत किसी एक या एक से अधिक संवर्गों के अधीन छूट का लाभ प्राप्त करने के उपरांत शासकीय सेवा हेतु पात्र होने के लिये अधिकतम आयु किसी भी दशा में 45 (पैतालिस) वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(ठ) आयु सीमा के संबंध में, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

(दो) शैक्षणिक अर्हताएं– अभ्यर्थी के पास सेवा के लिये विहित ऐसी शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिए, जैसा कि अनुसूची–तीन में दर्शित है।

(तीन) (क) शुल्क – अभ्यर्थी को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा यथा विहित शुल्क का भुगतान करना होगा।

(ख) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें चिकित्सा मण्डल के समक्ष उपस्थित होने के लिये अपेक्षित किया गया हो, को स्वास्थ्य परीक्षा होने के पूर्व चिकित्सा मण्डल के अध्यक्ष को शासन द्वारा यथा विहित शुल्क का भुगतान करना होगा।

9. निरर्हता.– (1) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्हीं भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा में/चयन के लिये उपस्थित होने हेतु उसे निरर्हित माना जा सकेगा।

(1) कोई भी पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी:

परन्तु यदि शासन का यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो शासन, ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(3) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाए, मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ्य, तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष जो किसी सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकता हो से मुक्त, घोषित न कर दिया जाये:

परन्तु आपवादिक मामलों में अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अधीन अस्थायी नियुक्ति दी जा सकेगी कि यदि वह चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ्य पाया जाता है तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी।

(4) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी सम्यक् जांच, जैसा कि आवश्यक समझे, के पश्चात, यह समाधान हो जाये कि वह (अभ्यर्थी) ऐसी सेवा या पद के लिए उपयुक्त नहीं है।

(5) कोई भी अभ्यर्थी, जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों, तो उसकी नियुक्ति का मामला तब तक लंबित रखा जायेगा जब तक कि उस आपराधिक मामले का न्यायालय द्वारा अंतिम विनिश्चय न कर दिया जाए।

(6) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।

(7) कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद के लिए निरर्हित नहीं होगा।

10. **अभ्यर्थियों की पात्रता के बारे में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा.**– (1) चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में, नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा और किसी भी अभ्यर्थी को, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रवेश प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(2) चयन प्रक्रिया के किसी समय पर अथवा शासन को चयन सूची भेजने के बाद भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगति पायी गई है, तो वह निरर्हित हो जायेगा एवं उसका चयन/नियुक्ति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समाप्त कर दिया जायेगा।

11. **प्रतियोगी परीक्षा/चयन द्वारा सीधी भर्ती.**– (1) नियुक्ति प्राधिकारी एक चयन समिति गठित करेगा जिसमें तीन सदस्य सम्मिलित होंगे।

(एक) सेवा में भर्ती के लिये प्रतियोगिता परीक्षा ऐसे अंतरालों पर आयोजित की जायेगी, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी शासन के परामर्श से, समय–समय पर अवधारित करे।

(दो) परीक्षा, शासन द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आयोजित की जायेगी।

(2) चयन द्वारा सीधी भर्ती– (एक) सेवा में सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थियों का चयन ऐसे अन्तरालों पर किया जायेगा जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी समय–समय पर अवधारित करे।

(दो) सेवा के लिए अभ्यर्थियों का चयन, चयन समिति द्वारा किया जायेगा।

(तीन) चयन समिति का गठन नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर किया जायेगा।

(3) सीधी भर्ती के प्रक्रम में, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिये पदों को, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) में उपबंधों के अनुसार आरक्षित रखे जायेंगे

तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

(4) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, ऐसे अभ्यर्थी, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं, की नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।

(5) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) से संबंधित उन अभ्यर्थियों, जिन्हें उनकी प्रशासनिक दक्षता को ध्यान में रखते हुए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति के लिये पात्र घोषित किया गया हो, को उप–नियम (3) के अनुसार यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।

(6) सीधी भर्ती के प्रक्रम में, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, 30 प्रतिशत पद महिला अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रखा जाएगा। यह आरक्षण समस्तर एवं प्रभाग–वार होगा।

(7) ऐसे मामलों में, जहां सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिये कुछ कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है और नियुक्ति प्राधिकारी की राय में यह पाया जाये कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) से संबंधित अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो नियुक्ति प्राधिकारी, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) के अभ्यर्थियों के लिये अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा।

(8) उपरोक्त के अतिरिक्त, निःशक्त व्यक्ति/भूतपूर्व सैनिक के लिये, शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश के अनुसार पदों को आरक्षित रखे जायेंगे।

12. **चयन समिति द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची**.– (1) चयन समिति, उन अभ्यर्थियों की योग्यता के क्रम में व्यवस्थित एक सूची, जो ऐसे स्तर से अर्हित हों जैसा कि चयन

समिति द्वारा अवधारित किया जाये तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) से संबंधित उन अभ्यर्थियों की एक सूची, जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं है, किन्तु प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिए चयन समिति द्वारा उपयुक्त घोषित किये गये हों और महिला, निःशक्त व्यक्ति/भूतपूर्व सैनिक से संबंधित प्रत्येक प्रवर्ग के अभ्यर्थियों जो आरक्षण के फलस्वरूप ऐसे स्तर से अर्हित हों, उनकी (ऐसे अभ्यर्थियों की) मेरिट क्रम में सूची तैयार करेगी तथा नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगी, जिसकी वैधता, नियुक्ति के लिए नियुक्ति प्राधिकारी को सूची भेजे जाने की तारीख से एक वर्ष की होगी। सूची को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भी प्रकाशित की जायेगी।

(2) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये उसी क्रम में विचार किया जायेगा जिस क्रम में उनके नाम सूची में आये हों।

(3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति के लिये कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(4) कोई अभ्यर्थी, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित हो, वैधता अवधि में कर्तव्य पर उपस्थिति दर्ज न कराने या त्यागपत्र देने या किन्हीं कारणों से योग्य न पाये जाने पर या वैधता अवधि के दौरान चयनित अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने पर, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों के नाम, नियुक्ति हेतु अनुशंसित किये जा सकेंगे।

13. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.**– (1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिए, एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें अनुसूची–चार में उल्लिखित सदस्य सम्मिलित होंगे:

परन्तु इस उप–नियम के अधीन, समिति के गठन के लिए, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) की धारा 8 के उपबंधों का भी अनुसरण किया जायेगा।

(2) समिति की बैठक ऐसे अन्तरालों में होगी, जो साधारणतः 1 (एक) वर्ष से अधिक की न हो।

(3) प्रत्येक पदोन्नति, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार होगी।

(4) आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नति करने हेतु प्रक्रिया, उप–नियम (3) तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होगी।

(5) **नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन**– नियुक्ति प्राधिकारी, अपने द्वारा जारी किए जाने वाले पदोन्नति आदेश पर, इस आशय के प्रमाणपत्र का पृष्ठांकन करेगा कि उसने छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) तथा छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों तथा उक्त अधिनियम के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए जारी निर्देशों तथा राज्य शासन द्वारा बनाये गये नियमों का पालन किया है तथा उसने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप–धारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान लिया है।

14. **पदोन्नति/स्थानान्तरण के लिये पात्रता संबंधी शर्तें**.– (1) समिति, उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को, उन पदों में, जिनसे पदोन्नति की जानी है, जैसा कि अनुसूची–चार के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है अथवा शासन द्वारा उसके समतुल्य घोषित किन्हीं अन्य पद या पदों पर (चाहे मूल रूप में या स्थानापन्न रूप में), उतने वर्षों की सेवा, जैसा कि अनुसूची–चार के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट है, पूर्ण कर ली हो तथा जो उप–नियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र के भीतर आते हों।

स्पष्टीकरण– **पदोन्नति के लिए पात्रता हेतु संगणना की रीति**– संबंधित वर्ष जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की कालावधि की गणना, उस कैलेण्डर वर्ष से की जाएगी, जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया हो और संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से नहीं।

(2) पदोन्नति में आरक्षण, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधान के अनुसार होगा।

(3) शासन द्वारा समय–समय पर विहित आरक्षण रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की जायेगी।

15. **उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना.–** (1) विभागीय पदोन्नति समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो उपर्युक्त नियम 14 में विहित शर्तो को पूरी करते हों तथा जिन्हे समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिये उपयुक्त समझा गया हो। यह सूची, चयन सूची तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी।

(2) उपयुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार तैयार की जायेगी।

(3) पदोन्नति के लिये व्यक्तियों की चयन सूची तैयार करने के लिए मापदण्ड वरिष्ठता सह उपयुक्तता होगी।

(4) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम, 1961 के अनुसार चयन सूची तैयार किये जाने के समय, सूची में सम्मिलित कर्मचारियों के नाम, अनुसूची–चार के कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट सेवा या पदो में वरिष्ठता के आधार पर रखे जायेंगे।

स्पष्टीकरण– ऐसा व्यक्ति, जिसका नाम चयन सूची में शामिल किया गया हो, किन्तु जिसे सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत नहीं किया गया हो, केवल उसके पूर्वोत्तर चयन के तथ्य से ही उन व्यक्तियों के ऊपर जिन पर पश्चात्वर्ती चयन में विचार किया गया है, ज्येष्ठता का कोई दावा नहीं होगा।

16. **चयन सूची.–** (1) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित सूची, अनुसूची–चार के कॉलम (3) में उल्लिखित पदों से अनुसूची–चार के कॉलम (5) में यथा उल्लिखित पदों पर, सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए चयन सूची होगी।

(2) चयन सूची सामान्यतः इसके तैयार किये जाने की तारीख से कैलेण्डर वर्ष के 31 दिसम्बर तक विधिमान्य रहेगी:

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से आचरण एवं कर्तव्य के निर्वहन में गंभीर चूक होने की स्थिति में, नियुक्ति प्राधिकारी के कहने पर, चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और यदि वह उचित समझे तो चयन सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगा।

17. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.–** (1) चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की सेवा संवर्ग के पदों पर नियुक्तियां उसी क्रम में की जायेंगी जिस क्रम में उनके नाम छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार सूची में आये हों।

(2) साधारणतः उस व्यक्ति की जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित हो, सेवा में नियुक्ति के पूर्व चयन समिति से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम शामिल किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आ जाये, जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, सेवा में नियुक्ति के लिये उसे अनुपयुक्त सिद्ध करता हो।

18. **परिवीक्षा.–** (1) सेवा में सीधे या पदोन्नति द्वारा भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, 2 (दो) वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।

(2) यदि कार्य असंतोषजनक पाया जाता है तो परिवीक्षा की अवधि अधिकतम एक वर्ष तक की अवधि के लिये नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा बढ़ाया जा सकेगा।

(3) परिवीक्षा की अवधि या बढ़ायी गई अवधि के दौरान या परिवीक्षा अवधि के अंत में यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय हो कि कोई विशिष्ट अभ्यर्थी अधिकारी बनने के योग्य नहीं है तो ऐसे परिवीक्षाधीन की सेवा समाप्त की जा सकेगी।

19. **निर्वचन.–** यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्‌भूत हो, तो उसे शासन को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर उसका निर्णय अंतिम होगा।

20. **शिथिलीकरण.–** इन नियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा, कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को, जो उसे न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हो, सीमित या कम करती है:

परंतु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो।

21. **निरसन एवं व्यावृत्ति.–** (1) इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्‌द्वारा निरसित किये जाते हैं:

परंतु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

(2) इन नियमों में दी गई कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी-लेयर) के लिये राज्य शासन द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी किये गये आदेशों के अनुसार दिये जाने वाले अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. आर. मालवीय, उप-सचिव.

अनुसूची-एक
(नियम 5 देखिए)

स.क्र.	सेवा में सम्मिलित पदो के नाम	पदों की संख्या	बस्तर एवं सरगुजा	वर्गीकरण	वेतनमान	ग्रेड वेतन	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
1.	सहायक श्रम पदाधिकारी	18		तृतीय श्रेणी	9300-34800	4300	
2.	अधीक्षक	01		तृतीय श्रेणी	9300-34800	4300	
3.	सहायक अधीक्षक	01		तृतीय श्रेणी	9300-34800	4200	
4.	शीघ्रलेखक ग्रेड-दो	01		तृतीय श्रेणी	9300-34800	4300	
5.	केमिस्ट	02		तृतीय श्रेणी	9300-34800	4200	
6.	श्रम निरीक्षक	98		तृतीय श्रेणी	5200-20200	2800	
7.	शीघ्रलेखक ग्रेड-तीन	03		तृतीय श्रेणी	5200-20200	2800	
8.	सांख्यिकी पर्यवेक्षक	01		तृतीय श्रेणी	5200-20200	2800	
9.	सहायक ग्रेड-एक	05		तृतीय श्रेणी	5200-20200	2800	
10.	श्रम उप-निरीक्षक	47		तृतीय श्रेणी	5200-20200	2400	
11.	सहायक ग्रेड-दो	43	10	तृतीय श्रेणी	5200-20200	2400	
12.	लैब असिस्टेंट	02		तृतीय श्रेणी	5200-20200	2400	
13.	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	20	05	तृतीय श्रेणी	5200-20200	2400	
14.	सहायक ग्रेड-तीन	81	13	तृतीय श्रेणी	5200-20200	1900	
15.	स्टेनो टायपिस्ट	02		तृतीय श्रेणी	5200-20200	1900	
16.	वाहन चालक	05		तृतीय श्रेणी	5200-20200	1900	

अनुसूची–दो

(नियम 6 देखिये)

स.क्र.	विभाग का नाम	सेवा का नाम	पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत		
				सीधी भर्ती द्वारा (नियम 6(1) (क) देखिये)	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा (नियम 6(1) (ख) देखिये)	अन्य सेवा से व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा (नियम 6(1) (ग) देखिये)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	श्रम विभाग	छत्तीसगढ़ श्रम सेवा (अराजपत्रित) तृतीय श्रेणी				
1.		सहायक श्रम पदाधिकारी	18	50%	50%	
2.		अधीक्षक	01	—	100%	
3.		सहायक अधीक्षक	01	—	100%	
4.		शीघ्रलेखक ग्रेड–दो	01	—	100%	
5.		केमिस्ट	02	50%	50%	
6.		श्रम निरीक्षक	98	50%	50%	
7.		सहायक ग्रेड–एक	05	—	75% (25% विभागीय परीक्षा द्वारा)	
8		शीघ्रलेखक ग्रेड–तीन	03	50%	50%	
9.		सांख्यिकी पर्यवेक्षक	01	—	100%	
10.		श्रम उप–निरीक्षक	47	50%	50%	
11.		सहायक ग्रेड–दो	43	—	100%	
12.		लैब असिस्टेंट	02	50%	50%	
13.		डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	20	100%	—	
14.		स्टेनो टायपिस्ट	02	100%	—	
15.		सहायक ग्रेड–तीन	81	75%	25%	
16.		वाहन चालक	07	100%	—	

टीप– उपरोक्त सरल क्र. 1, 5, 8 एवं 10 से 16 में उल्लिखित पदों में भर्ती, साक्षात्कार का अनुपालन करते हुए या तो श्रमायुक्त संगठन द्वारा या छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन/मुद्रलेखन मण्डल के द्वारा लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जायेगा।

अनुसूची—तीन

(नियम 8 देखिये)

स.क्र.	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हता	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	सहायक श्रम पदाधिकारी	21 वर्ष	30 (छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों के लिए 35 वर्ष)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि।	
2.	केमिस्ट	21 वर्ष	—तदैव—	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम. एस सी. विश्लेषणात्मक रसायन शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि।	
3.	श्रम उप—निरीक्षक	21 वर्ष	—तदैव—	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि।	
4.	लैब असिस्टेंट	18 वर्ष	—तदैव—	10+2 (जीव विज्ञान) उत्तीर्ण होना चाहिये एवं (विज्ञान) में द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि।	
5.	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	18 वर्ष	—तदैव—	(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण, अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। अथवा कक्षा 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण एवं मान्यता प्राप्त संस्था से त्रिवर्षीय डिप्लोमा। (2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी में डाटा एन्ट्री की 8000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति	

				(गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी)	
6.	शीघ्रलेखक ग्रेड–तीन	18 वर्ष	–तद्वैव–	(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण, अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। (2) किसी मान्यता प्राप्त मंडल / संस्था / शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) मुद्रलेखन परिषद् से :– (क) शीघ्रलेखक (हिन्दी) के लिए – हिन्दी शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण एवं शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जाएगी)। (ख) शीघ्रलेखक (अंग्रेजी) के लिए – अंग्रेजी शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण एवं शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी)। (ग) द्विभाषी शीघ्रलेखक के लिए – ऊपर खण्ड (क) तथा (ख) में विनिर्दिष्ट अनुसार हिन्दी एवं अंग्रेजी शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) पाठ्यक्रम प्रमाणपत्र उत्तीर्ण तथा शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी)	

				(3) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री /ऑपरेटर/ प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा /प्रमाण पत्र तथा डाटा एन्ट्री की 10,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति (गति के लिएं कौशल परीक्षा ली जाएगी)।	
7.	स्टेनो टायपिस्ट	18 वर्ष	–तदैव–	(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण, अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। (2) हिन्दी शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) में 60 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी)। (3) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/ प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा /प्रमाण पत्र तथा डाटा एन्ट्री की 8,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी)।	
8.	सहायक ग्रेड–तीन	18 वर्ष	–तदैव–	(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण, अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। (2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/ प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र। (3) कम्प्यूटर में हिन्दी टाईप लेखन में 5,000 की (Key)	

				डिप्रेशन प्रति घंटे की गति। (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी)।	
9.	वाहन चालक	18 वर्ष	–तदैव–	कक्षा 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण एवं वैध एल.एम.व्ही. (हल्के मोटर यान) ड्राईविंग लायसेंस होना चाहिये तथा आंखों की दृष्टि 6/6 अनिवार्य रूप से होना चाहिए।	

टीप– ऐसे अभ्यर्थी, जो छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी हैं, के लिये उच्चतर आयु सीमा, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार शिथिलनीय होगी।

अनुसूची–चार

(नियम 14 देखिये)

स.क्र.	विभाग का नाम	पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति हेतु पात्र होने के लिये अनुभव की न्यूनतम अवधि	पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	श्रम विभाग	(एक) सहायक श्रम पदाधिकारी (दो) शीघ्रलेखक ग्रेड–दो (तीन) अधीक्षक	5 वर्ष	श्रम पदाधिकारी	(एक) लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उनके द्वारा नामांकित सदस्य–अध्यक्ष (दो) सचिव, श्रम विभाग –सदस्य (तीन) श्रमायुक्त– सदस्य
2.		श्रम निरीक्षक	5 वर्ष	सहायक श्रम पदाधिकारी	(एक) श्रमायुक्त–अध्यक्ष (दो) संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा–सदस्य (तीन) उप श्रमायुक्त (स्थापना)–सदस्य (चार) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का एक अधिकारी (प्रथम श्रेणी)–सदस्य (पांच) उप–श्रमायुक्त (पंजीयक)–सदस्य
3.		सहायक अधीक्षक	5 वर्ष	अधीक्षक	–तदैव–
4.		शीघ्रलेखक ग्रेड–तीन	5 वर्ष	शीघ्रलेखक ग्रेड–दो	–तदैव–
5.		श्रम उप–निरीक्षक शीघ्रलेखक ग्रेड–तीन	5 वर्ष	श्रम निरीक्षक	–तदैव–

6.		(एक) सहायक ग्रेड–एक (दो)शीघ्रलेखक ग्रेड–तीन (तीन)सांख्यिकीय पर्यवेक्षक	5 वर्ष	श्रम निरीक्षक/ सहायक अधीक्षक	–तदैव–
7.		सहायक ग्रेड–दो	5 वर्ष	(एक) श्रम उप निरीक्षक (दो) सांख्यिकी पर्यवेक्षक	–तदैव–
8.		स्टेनो टायपिस्ट	5 वर्ष	शीघ्रलेखक ग्रेड–तीन	–तदैव–
9.		लैब असिस्टेंट	5 वर्ष	केमिस्ट	–तदैव–
10.		सहायक ग्रेड–तीन	5 वर्ष	सहायक ग्रेड–दो	–तदैव–
11.		भृत्य	5 वर्ष	सहायक ग्रेड–तीन	–तदैव–
12.		लैब अटेंडेट	5 वर्ष	लैब असिस्टेंट	–तदैव–
13.		केमिस्ट	नियमानुसार समयमान वेतनमान		
14.		डाटा एन्ट्री ऑपरेटर			

Raipur, the 14th February 2014

No. F 1-78/2012/16.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following rules relating to the recruitment and conditions of service of the Chhattisgarh Labour Service (Non-Gazetted) Class-III Services, namely :—

RULES

1- **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Chhattisgarh Labour Service (Non-Gazetted) Class-III Recruitment Rules, 2014.

(2) These Rules shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

2- **Definitions.**— In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Appointing Authority" in respect of the Service means Labour Commissioner and such other authority nominated by the State Government to make appointment to the service or posts;

(b) "Examination" means the competitive examination held for recruitment to the service conducted under Rule 11 of these rules;

(c) "Government" means the Government of Chhattisgarh;

(d) "Governor" means the Governor of Chhattisgarh ;

(e) "Other Backward Classes" means the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government vide notification No. F-8-5-XXV-4-84, dated 26th December, 1984 as amended from time to time.

(f) "Schedule" means Schedule appended to these rules;

(g) "Scheduled Castes" means the Scheduled Castes as specified in relation to this State under Article 341 of the Constitution of India;

(h) "Scheduled Tribes" means the Scheduled Tribes as specified in relation to this State under Article 342 of the Constitution of India;

(i) "Selection Committee" means a Selection Committee constituted by the Appointing Authority for the purpose of recruitment or promotion under these rules;

(j) "Service" means the Chhattisgarh Labour Service (Non-Gazetted) Class-III Service;

(k). "State" means the State of Chhattisgarh.

3. **Scope and application.**—Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Services (General conditions of Servicc) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the service.

4. **Constitution of the Service.**—The service shall consist of the following persons, namely :—

(1) Persons, who at the time of commencement of these rules are holding substantively the posts as specified in Schedule-I;

(2) Persons, recruited to the service before the commencement of these rules; and

(3) Persons, recruited to the service in accordance with provisions of these rules.

5. **Classification scale of pay, etc.-** The classification of service, the number of posts included in the service and scale of pay attached thereto shall be specified in Schedule-I:

Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts and pay scale included in the service, either on a permanent or temporary basis.

6. **Method of recruitment.-** (1) Recruitment to the Service, after the commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely:-

(a) By direct recruitment through competitive examination or by selection on the basis of merit and interview;

(b) By promotion of the members of the service according to Schedule-IV;

(c) By transfer of the persons, who hold in substantive or officiating capacity such posts in such services, as may be specified in this behalf.

(2) The number of persons recruited under clause (b) or (c) of sub-rule (1) shall not at any time exceed the percentage shown in Schedule-II of the number of duty posts as specified in Schedule-I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy of vacancies in the service, as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by such method, shall be determined on each occasion by the Appointing Authority in consultation with the Government.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in opinion of the Appointing Authority, the exigencies of the service so require, the Appointing Authority may, with the prior concurrence of the General Administration

Department of the Government, adopt such methods of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule, as it may, by order issued in this behalf, prescribe.

(5) For the post to be filled up by direct recruitment for selection on the merit basis, the criteria shall be prescribed by the Government. However, it shall be mandatory by the Appointing Authority to be constituted a Selection Committee for this purpose, which may adopt any other appropriate criteria other than these criteria by the consent of the Government.

(6) At the time of recruitment to the service the provisions of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and instructions (as amended) issued from time to time under this Act by the General Administration Department of the Government shall also apply.

7. **Appointment in service.-** All the appointments to the service after the commencement of these rules shall be made by the Appointing Authority and no such appointment shall be made except after selection under one of the methods of recruitment specified in rule 6.

8. **Conditions of eligibility for direct recruitment.-** In order to be eligible for direct recruitment or selection, a candidate must satisfy the following conditions, namely:-

(I) **Age** – (a) A candidate must have attained the age as specified in column (3) of Schedule-III and not attained the age specified in column (4) of said Schedule on the first day of January of the year in which the advertisement for the post is published;

(b) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of 5 (five) years if a candidate belongs to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer);

(c) For women candidates the upper age limit shall be relaxable upto 10 (ten) years as per the provision of Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997;

(d) The upper age limit shall also be relaxable in respect of candidates, who are or have been employees of the Government to the extent and subject to the conditions specified below: -

(i) A candidate, who is a permanent/temporary Government servant should not be more than 38 years of age;

(ii) A candidate, holding a post temporarily and applying for any other post should not be more than 38 years of age. This concession shall also be admissible to the contingency paid employees, work charged employees and employees working in the Project Implementation Committee;

(iii) A candidate, who is a "retrenched Government servant" shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him up to a maximum limit of 7 (seven) years even if represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than 3 (three) years.

Explanation- The term "retrenched Government servant" denotes a persons who was in temporary Government service of this State or of any of the constituent units, for a continuous period of not

less than 6 (six) months and who was discharged because of reduction in establishment not more than 3 (three) years prior to the date of his registration at the employment exchange or of application made otherwise for employment in Government service.

(e) A candidate who is an Ex-Serviceman shall be allowed to deduct from his age the period of all Defense Service previously rendered by him, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more that 3 (three) years;

Explanation – The term "Ex-serviceman" denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less that 6 (six) months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the economy unit or due to normal reduction in establishment not more that 3 (three) years before the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in Government service : -

(i) Ex-servicemen released under mustering out concessions;

(ii) Ex-servicemen enrolled for the second time and discharged on-

(a) completion of short term engagement;

(b) fulfilling the condition of enrolment.

(iii) Ex-personnel of Madras Civil Unit;

(iv) Ex-servicemen (Military and Civil) discharged on completion of their contract (including short service Regular Commissioned Officers);

(v) Ex-servicemen/Officers discharged after working for more than 6 (six) month continuously against leave vacancies;

(vi) Ex-servicemen invalidated out of service;

(vii) Ex-servicemen discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers;

(viii) Ex-servicemen who are medically boarded out on account of gun shot-wounds, etc.

(f) The upper age limit shall be relaxable upto 2 (two) years for the candidates who are holding green card under the Family Welfare (Planning) Programme;

(g) The upper age limit shall be relaxable upto 5 (five) years in respect of awarded superior caste partner of a couple awarded under the Inter Caste Marriage, Promotional under Untouchability Eradication Rules, 1984;

(h) The upper limit shall also be relaxable up to 5 (five) years in respect of the Shahid Rajiv Pandey Award, Gundadhur Award, Maharaja Praveerchand Bhanjdev Award holder candidates and National Youth Award holder candidates;

(i) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of 38 years of age in respect of the candidates who are employees of the Chhattisgarh State Corporations/Boards;

(j) The upper age limit shall be relaxed in case of voluntary Home Guards and Non-Commissioned Officers of Home Guards for the period of

Home Guard Service so rendered by them, subject to the limit of 8 (eight) years, but in no case their age should exceed 38 years;

Note:- (1)The candidates who are admitted to the examination /selection under the age concessions mentioned in Rule 8(d)(i) and (ii) above shall not be eligible for appointment if after submitting the application, they resign from service either before or after taking the examination/selection. They shall, however, continue to be eligible if they are retrenched from the service or posts after submitting the application.

(2) In no other case these age limits shall be relaxed. The Departmental candidates must obtain previous permission of the Appointing Authority to appear for the examination/selection.

(k) Candidates obtaining the benefits of relaxation in maximum age limit on the basis of their category (Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Women/Widow/Divorcee etc.) shall be given additional relaxation available in maximum age limit as usual, but in any case the maximum age to get eligible for Government job shall not exceed 45 (forty five) years, irrespective of age relaxation under one or more than one categories mentioned above.

(l) In respect of age limit, the directions issued by the General Administration Department of the Government, from time to time, shall also be applicable.

(II) **Educational Qualifications** - The candidate must possess the educational qualifications as prescribed for the service as shown in Schedule-III

(III) **Fees – (A)** The candidate must pay the fees as prescribed by the Appointing Authority.

(B) The Candidate who has been required to appear before Medical Board must pay the fees as prescribed by the Government to the Chairman of the Medical Board before medical test.

9. **Disqualification. –** (1) Any attempt on part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Appointing Authority to disqualify him for appearing in the examination/selection.

(2) Any male candidate who is having more than one living wife and any female candidate who has married a man who is already having a living wife, shall not be eligibile for appointment in any service or post:

Provided that if the Government is satisfied that there were specific reasons for doing so, then the Government may give relaxation in the enforcement of this rule for such candidates.

(3) Any candidate shall not be appointed to any service or post untile he / she is declared mentally or physically fit and free from any mental or physical default which can hinder the fulfillment of duty of any service or post in such medical examination, as may be prescribed:

Provided that in exceptional cases, a candidate may be given temporary appointment on any service or post before his medical examination under a condition that, if he is found medically unfit, then his services may be terminated immediately.

(4) Any candidate shall not be eligible on such condition to any serive or post, if the Appointing Authority satisfied that, after due enquiry, which is considered necessary, he/she is not fit for such service or post.

(5) Any candidiate who is convicted of any offence against women shall not be eligible for any post:

Provided that if such matter is pending in a court against the candidate, then matter of his appointment shall be kept in abeyance till the criminal matter is finally determined by the court.

(6) Any candidate, who is married, before the minimum age fixed for marriage, shall not be eligible for any service or post.

(7) Any candidate who is having more than two living offspring, out of which is born on 26th January, 2001 or thereafter, shall not be eligible for any service or post:

Provided that any candidate who is already having one living offspring and next delivery takes place on 26th January, 2001 or thereafter in which two or more than two children are born, shall not be disqualified for any service or post.

10. Appointing Authority's decision about the eligibility of candidates shall be final.– (1) The decision of the Appointing Authority as to the eligibility or otherwise of a candidate for selection shall be final and no candidate, to whom a certificate of admission has not been issued by the Appointing Authority for examination/ interview, shall be allowed to be appear in the examination or.interview.

(2) At any time of selection process or even after submission of selection list to the Government, if it comes to the notice of the Appointing Authority that a candidate has given wrong information or any misinformation is found in the documents submitted by him, then he will be disqualified and his selection/appointment shall be terminated by the Appointing Authority.

11. Direct recruitment by competitive examination/selection–(1) Appointing Authority shall constitute a Selection Committee consisting of three members.

(i) The competitive examination for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Appointing Authority may, in consultation with the Government, from time to time, determine.

(ii) The examination shall be held by the Appointing Authority in accordance with the orders issued by the Government, from time to time.

(2) **Direct recruitment by Selection** – (i) The selection for direct recruitment to the service shall be held at such intervals as the Appointing Authority may, from time to time, determine.

(ii) The selection of candidates for the service shall be made by the Selection Committee.

(iii) The Selection Committee shall be constituted by the Appointing Authority from time to time.

(3) There shall be reserved posts for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes at the stage of direct recruitment to the service, in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No.21 of 1994) and the directions issued by the General Administration Department of the Government, from time to time, shall be applicable.

(4) In filling up the vacancies so reserved, the candidates who are members of Scheduled Castes or Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer) shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in Rule 12, irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(5) Those candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer) who are declared eligible for

appointment by the Appointing Authority keeping in view of their administrative efficiency, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer) under sub-rule (3).

(6) At the stage of direct recruitment, 30% post shall be reserved for the women candidates in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rule, 1997. The reservation shall be Horizontal and Compartment-wise.

(7) In such cases, where experience of some period has been prescribed as an essential condition for the posts to be filled in, by direct recruitment and it is found in the opinion of the Appointing Authority that there is a possibility of candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer) may not be available in sufficient number, the Appointing Authority may relax the condition of experience to the candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer).

(8) In addition to above, the post for persons with disability/ex-servicemen shall be reserved in accordance with the Instructions issued by the Government from time to time.

12. **List of the candidates recommended by the Selection Committee** – (1) The Selection Committee shall prepare and forward a list of candidates to the Appointing Authority, arranged in order of merit, who have qualified by such standards, as may be determined by the Selection Committee and a list of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer), who though not qulifified by the such standard, but are declared by the Selection Committee to be suitable for appointment to the service, with due regard to the maintenance of efficiency of administration and the list of candidates in each

category belonging to women, persons with disability/Ex-servicemen in the order of merit of the candidates who have qualified by such standards due to reservation, whose validity for appointment shall be one year from the date of sending the list to the Appointing Authority. The list shall also be published for general information.

(2) Subject to the provisions of these rules and of the Chhattisgarh Civil Services (General Condition of Service) Rules, 1961, candidates shall be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(3) The inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the appointing authority is satisfied, after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service.

(4) Any candidate, whose name is included in the selection list, do not join the duty within the valid period, or resigns or for any reason he is found unfit or the selected candidate dies during the valid period, the name of candidate from the waiting list can be recommended by the Appointing Authority for appointment.

13. **Appointment by promotion-** (1) There shall be constituted a Committee, consisting of the members mentioned in Schedule-IV for making a preliminary selection for promotion of eligible mentioned candidates:

Provided that, for this purpose of constitution of the Committee, under this sub-rule, the provisions of Section 8 of the Chhattisgarh Public Service (Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Reservation) Act, 1994 (No. 21 of 1994), shall also be adhered to.

(2) The Committee shall meet at such intervals, ordinarily not exceeding 1 (one) year.

(3) Every promotion shall be made in accordance with the provisions of Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003.

(4) The procedure for making promotion in the reserved vacancies shall be made in accordance with sub-rule (3) and the instructions issued by the General Administration Department of the Government, from time to time.

(5) Certification by the Appointing Authority - Appointing Authority shall endorse on the promotion order to be issued by him a certificate to the effect that he had complied with the provisions of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhede Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003 and the instructions issued in the light of the provisions of the said Act and the rules by the State Government and that he has taken full cognizance of the provisions of sub-section (1) of Section 6 of the said Act.

14. Conditions regarding eligibility for promotion/transfer- (1) The Committee shall consider the cases of all persons, who on the first day of January of that year had completed such number of years of the service (whether officiating or substantive) in the posts, from which promotion is to be made as required in column (3) of Schedule-IV or any other post or posts declared equivalent thereto by the Government, as specified in column (4) of Schedule-IV and are within the zone of consideration in accordance with the provisions of sub-rule (2).

Explanation-. The manner of computation of eligibility for promotion- The calculation of period of qualifying service on 1st January of the relevant year in which Departmental Promotion Committee/Scrutiny Committee is convened shall be counted from the calendar year in which the public servant has joined the feeder cadre/part of the service/pay scale of the post and not from the date of joining of the cadre/part of the service/pay scale of post.

(2) The reservation in promotion shall be made in accordance with the provision of Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003.

(3) Promotion shall be made in accordance with the reservation roaster prescribed by the Government, from time to time.

15. Preparation of list of suitable candidates- (1) The Departmental Promotion Committee shall prepare a list of such persons as to satisfy the conditions prescribed in Rule 14 above and as are held by the Committee to be suitable for promotion to the service. The list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirements and the promotions during the course of one year from the date of preparation of the selection list.

(2) The list of officers/employees shall be prepared as per provisions of the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003.

(3) For preparing the select list of persons for promotion, the criteria shall be seniority subject to fitness.

(4) The names of employees included in the list shall be arranged in order of seniority in the service or posts as specified in column (3) of Schedule-IV at the time of preparation of select list as per Chhattisgarh Civil Service (General Conditions of Service) Rule, 1961.

Explanation- The person, whose name is included in a select list but who is not promoted during the validity of the list shall have no claim to seniority over those persons considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

16. Select list.- (1) The list as finally approved by the Appointing Authority shall be the select list for promotion of the members of the services from the posts as mentioned in column (3) of Schedule-IV to the posts mentioned in column (5) of the Schedule-IV.

(2) The Select list for promotion shall be ordinarily valid for 31st December of the calendar year from the date of its preparation:

Provided that, in the event of a grave lapse in the conduct or performance of duties on the part of any person included in the select list, a special review of the select list, may be made at the instance of the Appointing Authority, and he may if it thinks fit, remove the name of such person from the select list.

17. **Appointment to the service from the select list.-** (1) Appointment of the employees included in the select list shall be made to the posts borne on the cadre of the service in the order in which their name appear in the list, in accordance with the provision of Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the selection committee before appointment of a person whose name is included in the select list to the service, unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the date of proposed appointment, there occurs and deterioration in his work, which in the opinion of the Appointing Authority, is such as to render his unsuitable of appointment to the service.

18. **Probation.-** **(1)** Every person directly recruited by promotion to the service shall be appointed on probation for a period of 2 (two) years.

(2) If the work is found unsatisfactory, then the period of probation can be extended by the Appointing Authority for a period upto a maximum of 1 year.

(3) During the period of probation or period extended or at the end of probation period, if the Appointing Authority is of the opinion that any particular candidate is not fit to be an officer, then the services of such probationer can be terminated.

19. **Interpretation.-** If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Government, whose decision thereon shall be final.

20. Relaxation.- Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the powers of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules may apply in such manner, as may appear to it to be just and equitable:

Provided that a case shall not be dealt with in any manner less favourable to him than as provided in these rules.

21. Repeal and saving.- (1) All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provision of these rules.

(2) Nothing in these rules shall affect reservation and other conditions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer) in accordance with the orders issued by the State Government, from time to time, in this regard.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
G. R. MALVIYA, Deputy Secretary.

SCHEDULE-II

(See Rule 6)

S.No.	Name of the Department	Name of the Posts	Total No. of Post	Percentage of posts to be filled in		
				By direct recruitment [See Rule 6 (1) (a)]	By Promotion of members of service [See Rule 6 (1)(b)]	By transfer of person from other service [See Rule 6 (1) (c)]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Labour Department	**Chhattisgarh Labour Service (Non-Gazetted) Class-III**				
1.		Assistant Labour Officer	18	50%	50%	
2.		Superintendent	01	-	100%	
3.		Assistant Superintendent	01	-	100%	
4.		Stenographer Grade-II	01	-	100%	
5.		Chemist	02	50%	50%	
6.		Labour Inspector	98	50%	50%	
7.		Assistant Grade-I	05	-	75% (25% (Through deparmental examination)	

8.		Stenographer Grade-III	03	50%	50%	
9.		Statistical Supervisor	01	-	100%	
10.		Labour Sub-Inspector	47	50%	50%	
11.		Assistant Grade-II	43		100%	
12.		Lab Assistant	02	50%	50%	
13.		Data Entry Operator	20	100%	-	
14.		Steno-typist	02	100%	-	
15.		Assistant Grade-III	81	75%	25%	
16.		Driver	07	100%		

Note– Recruitment to the posts mentioned above at serial no. 1, 5, 8 & 10 to 15 shall be done through written examination followed by interview either by Labour Commissioner Organisation or by Chhattisgarh Professional Examination Board/Chhattisgarh Typing/Steno Board.

SCHEDULE-III
(See Rule 8)

S. No.	Name of Post	Minimum Age limit	Maximum Age limit	Prescribe Educational Qualification	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Assistant Labour Officer	21 years	30 (up to 35 years for domicile resident of Chhattisgarh State)	Graduate degree from any recognized University	
2.	Chemist	21 years	--do--	Post Graduate degree in M.Sc. Analytical Chemistry from any recognized University.	
3.	Labour Sub-Inspector	21 years	--do--	Graduate degree from any recognized University.	
4.	Lab Assistant	18 years	--do--	Should have passed 10+2 (Biology) and Graduate degree in second division (Science).	
5.	Data Entry Operator	18 years	--do--	(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board OR Passed old Higher Secondary Examination with First year examination of Graduation Course from any recognized University, OR Passed 10th Examination	

				and three year diploma from any recognized institute. (2) One year Diploma/ Certificate in Data Entry Operator/ Programming from any recognized institute and speed of data entry 8,000 (Key) depression per hour in Hindi and English (efficiency test for speed shall be conducted).	
6.	Stenographer Grade-III	18 years	--do--	(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board. OR Passed old Higher Secondary Examination with First year examination of Graduation Course from any recognized University. (2) From any recognized Board/ Institute/Stenography (Shorthand) Typing Council :- (a) For Stcnographer (Hindi) - Passed Hindi Stenography (Shorthand) Certificate Examination and 100 words per minute speed in Stenography (Shorthand) (efficiency test for speed shall be taken). (b) For Stenographer	

				(English) - Passed English Stenography (Shorthand) Certificate Examination and 100 words per minute speed in Stenography (Shorthand) (efficiency test for speed shall be taken). (c) For Bilingual Stenographer- Passed Certificate Course of Hindi and English Stenography (Shorthand) as specified in clause (a) and (b) above and 100 words per minute speed in Stenography (Shorthand) (efficiency test for speed shall be taken). (3) One year Diploma/ Certificate in Data Entry Operator/ Programming from any recognized institute and speed of data entry 10,000 (Key) depression per hour (efficiency test for speed shall be taken).	
7.	Steno-typist	18 years	--do--	(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board, OR Passed old Higher Secondary Examination with First year examination of Graduation Course from any recognized University.	

				(2) 60 words per minute Speed in Hindi Stenography (Shorthand) (efficiency test for speed shall be taken). (3) One year Diploma/ Certificate in Data Entry Operator/Programming from any recognized institute and speed of data entry 5,000 (Key) depression per hour (efficiency test for speed shall be taken).	
8.	Assistant Grade-III	18	--do--	(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board. OR Passed old Higher Secondary Examination with First year examination of Graduation Course from any recognized University. (2) One year Diploma/ Certificate in Data Entry Operator/Programming from any recognized institute. (3)In Hindi Computer Typing 5,000 (Key) depression speed per hour (efficiency test for speed shall be taken).	
9.	Driver	18 years	--do--	Should have passed 10th Class examination and a valid LMV	

				Driving license and must have eye sight of 6/6	

Note–The upper age limit shall be relaxable for candidates who are bonafide resident of Chhattisgarh State, as per instructions issued by the General Administrative Department of the Government, from time to time.

SCHEDULE-IV

(See Rule 14)

S. No	Name of Department	Name of the Post from which promotion is to be made	Minimum period of experience for eligibility of promotion	Name of the Post to which promotion is to be made	Name of members of Departmental Promotion Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Labour Department	(i) Assistant Labour Officer (ii) Stenographer Grade - II (iii) Superintendent	5 Years	Labour Officer	(i) Public Service Commission President or his nominated Member- Chairman (ii) Secretary, Labour Department – Member (iii) Labour Commissioner – Member
2.		Labour Inspector	5 Years	Assistant Labour Officer	(i) Labour Commissioner - Chairman (ii) Director, Industrial Health and Safety - Member (iii) Deputy Labour Commissioner (Establishment) - Member (iv) One Officer from SC/ST(Class-I) -

					Member (v) Deputy Labour Commissioner (Registrar)- Member
3.		Assistant Superintendent	5 Years	Superintendent	--do--
4.		Stenographer Grade-III	5 Years	Stenographer Grade-II	--do--
5.		Labour Sub-Inspector Stenographer Grade-III	5 Years	Labour Inspector	--do--
6.		(i) Assistant Grade-I (ii) Stenographer Grade-III (iii) Statistical Supervisor	5 Years	Labour Inspector/ Assistant Superintendent	--do--
7.		Assistant Grade-II	5 Years	(i) Labour sub-Inspector (ii) Statistical Supervisor	--do--
8.		Steno-typist	5 Years	Stenographer Grade-III	--do--
9.		Lab Assistant	5 years	Chemist	--do--
10.		Assistant Grade-III	5 years	Assistant Grade-II	--do--
11.		Peon	5 Years	Assistant Grade-III	--do--
12.		Lab Attendent	5 Years	Lab Assistant	--do--
13.		Chemist	As per rule Time Scale Pay		
14.		Data Entry Operator			

विधान सभा सचिवालय, छत्तीसगढ़

रायपुर, दिनांक 29 मार्च 2014

क्रमांक 4509/वि.स./स्था/2014.—छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम 1990 के प्रावधानों के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय (भर्ती तथा सेवा शर्तें) आदेश 1990 में माननीय अध्यक्ष महोदय निम्नानुसार संशोधन करते हैं :—

संशोधन

1. नियम 3 "अर्हताएं" शीर्षक के अन्तर्गत जिन-जिन स्थानों पर शब्द "सहायक" "शीघ्रलेखक (स्टेनोग्राफर) (मानक वेतनमान)" "निम्न श्रेणी लिपिक," अंकित है उन शब्दों को विलोपित करते हुए उन स्थानों पर क्रमशः शब्द "सहायक ग्रेड-1," "निज सहायक" तथा "सहायक ग्रेड-3" शब्द प्रतिस्थापित किया जाये.

2. नियम-4 "पदों की पूर्ति हेतु प्रणाली" शीर्षक के अन्तर्गत जिन-जिन स्थानों पर शब्द-"सहायक", "उ.श्रे.लि.", "शीघ्रलेखक (मानक वेतनमान)", "निम्न श्रेणी लिपिक तथा मुद्रलेखक" अंकित है, उन शब्दों को विलोपित करते हुए उन स्थानों पर क्रमशः शब्द "सहायक ग्रेड-1", "सहायक ग्रेड-2", "निज सहायक" तथा "सहायक ग्रेड-3" शब्द प्रतिस्थापित किया जाय.

3. नियम-4 के अन्तर्गत क्रमांक 39 को विलोपित किया जाय तत्पश्चात् आगे के सरल क्रमांकों 40 से 66 को पुनः क्रमांकित किया जाए.

माननीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ विधान सभा के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्र शेखर गंगराड़े, अपर सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 26 मार्च 2014

क्रमांक एफ 4-3/2014/ग्यारह/(6).—राज्य शासन एतद्द्वारा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 4-22/2003/11/(6), दिनांक 20-03-2012 एवं क्र. एफ 11-3/2011/11/6, दिनांक 09-08-2012 में आंशिक संशोधन करता है :—

अर्थात

छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 संशोधन 1998 की धारा 40 (1), (क) के अंतर्गत ीयक फर्म्स एवं संस्थायें छत्तीसगढ़ द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध राज्य शासन के समक्ष की गई अपील की सुनवाई विशेष सचिव, छ.ग. शासन, ाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा की जावेगी तथा भारसाधक सचिव के अनुमोदन पश्चात् आदेश जारी किया जावेगा.

यह संशोधन जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम स तथा आदेशानुसार,
एन. बैजे द्र कुमार, प्रमुख सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 25 फरवरी 2014

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 04/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायगढ़ (छ.ग.)
(ख) तहसील-धरमजयगढ़
(ग) नगर/ग्राम-अलोला
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.875 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	99/1	0.074
	45/3	0.086
	90/3ग	0.016
	86/6, 89/4	0.074
	98/2	0.062
	97/1ट	0.064
	90/3घ	0.074
	86/5क, 150/2	0.036
	97/1ङ	0.020
	97/2	0.038
	90/3ङ	0.008
	86/4	0.084
	97/1घ	0.052
	97/1ज	0.086
	90/1क	0.101
योग	15	0.875

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-सकालो जलाशय योजना की इन्दकालो माइनर का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/सह भू-अर्जन अधिकारी, धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 25 फरवरी 2014

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 05/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायगढ़ (छ.ग.)
(ख) तहसील-धरमजयगढ़
(ग) नगर/ग्राम-अलोला
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.772 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	204/2	0.040
	208/2/1क2	0.060
	208/16	0.048
	209/2	0.186
	210/2ग	0.052
	201	0.248
	208/2/2	0.076
	208/14	0.040
	210/1क	0.036
	211	0.216
	200/1	0.040
	208/2क/1	0.208
	208/12	0.004
	210/1ख	0.028
	203/1	0.208
	208/2/1ख	0.074
	209/1	0.132
	210/1ग	0.076
योग	18	1.722

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-बंधनपुर व्यपवर्तन योजना की एल.बी.सी. मुख्य नहर हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/सह भू-अर्जन अधिकारी, धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 25 फरवरी 2014

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-रायगढ़ (छ.ग.)
 (ख) तहसील-धरमजयगढ़
 (ग) नगर/ग्राम-तालगांव
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.141 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	11/1	0.113
	13/2क	0.220
	21/1	0.090
	12/1	0.103
	18/1	0.103
	21/3	0.028
	13/1	0.062
	17/2	0.136
	21/4	0.034
	13/2ख	0.110
	17/1	0.114
	21/11	0.028
योग	12	1.141

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-बंधनपुर व्यपवर्तन योजना की एल.बी.सी. मुख्य नहर हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/सह भू-अर्जन अधिकारी, धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 25 फरवरी 2014

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 11/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-रायगढ़ (छ.ग.)
 (ख) तहसील-धरमजयगढ़
 (ग) नगर/ग्राम-बैरागी
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.760 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
107	0.060
174	0.010
298	0.134
203/2	0.068
233/3	0.152
106	0.102
299	0.084
186/2	0.010
185/2	0.012
223/3	0.024
233/4	0.188
235/2	0.040
103, 179, 172	0.074
187	0.008
185/3	0.012
222	0.132
232/1, 232/2	0.102
296	0.060
102/2	0.074
185/1	0.064
205	0.064
233/1	0.084
236	0.076

(1)		(2)
	297	0.124
योग	24	1.760

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- सलखेता जलाशय योजना की शाखा नहर हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/सह भू-अर्जन अधिकारी, धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 25 फरवरी 2014

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 12/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़ (छ.ग.)
- (ख) तहसील-धरमजयगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-गोलाबुड़ा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.216 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	286/9	0.112
	286/4क	0.104
योग	2	0.216

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- किलकिला एनीकट योजना के पहुंच मार्ग हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/सह भू-अर्जन अधिकारी, धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 25 फरवरी 2014

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 13/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़ (छ.ग.)
- (ख) तहसील-धरमजयगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-गोढ़ीखुर्द
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.968 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
162/5	0.360
170/3	0.066
111	0.036
189	0.045
200	0.068
113/2	0.001
101/1ख	0.038
100/8	0.024
178	0.012
182	0.110
114/2	0.064
188	0.032
116	0.028
114/1	0.040
101/2	0.028
100/11ख	0.120
177	0.108
183	0.028
195	0.064
190	0.032
115	0.048
102/2	0.032
100/9	0.024
185	0.054
186	0.116
187	0.086
192	0.062
101/3	0.060

	(1)	(2)
	101/1क	0.038
	103/1	0.144
योग	30	1.968

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-बंधनपुर व्यपवर्तन योजना की एल.बी.सी. मुख्य नहर हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/सह भू-अर्जन अधिकारी, धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 25 फरवरी 2014

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 15/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़ (छ.ग.)
- (ख) तहसील-धरमजयगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-कापू
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.489 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	423/4	0.259
	320/21	0.084
	432/9घ	0.036
	320/15	0.038
	320/19	0.360
	320/3	0.084
	320/20	0.324
	320/16	0.304
योग	8	1.489

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-बंधनपुर व्यपवर्तन योजना की आर.बी.सी. मुख्य नहर हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/सह भू-अर्जन अधिकारी, धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 25 फरवरी 2014

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 19/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़ (छ.ग.)
- (ख) तहसील-धरमजयगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-सकालो
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.865 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	47/58	0.116
	234/2घ	0.060
	239/2	0.038
	241/1, 241/2	0.124
	259	0.001
	275/2क, 275/2ख	0.124
	234/1	0.028
	236/1ग	0.040
	234/2ग	0.028
	244	0.120
	260/1	0.004
	277/1क	0.216
	234/2क	0.032
	236/1क	0.004
	239/1	0.134
	246/2/1/2	0.084
	265/1	0.088
	234/2ख	0.176
	236/2ख	0.094
	240	0.196
	266	0.062
	265/2	0.096
योग	22	1.865

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-बंधनपुर व्यपवर्तन योजना की आर.बी.सी. मुख्य नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/सह भू-अर्जन अधिकारी, धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 25 फरवरी 2014

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 20/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़ (छ.ग.)
- (ख) तहसील-धरमजयगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-गोलाबुड़ा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.520 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	43/2	0.132
	42/1क	0.060
	71/1ग	0.178
	76/1	0.180
	107/6ख	0.054
	294/9क	0.404
	39/1, 40/1	0.260
	107/15	0.194
	42/1घ	0.092
	71/1क	0.358
	77/2	0.076
	108/2ख	0.072
	294/9ख	0.076
	294/25ग	0.156
	42/1ग	0.064
	60/1	0.028
	58, 59/2	0.032
	304/2	0.060
	108/2क	0.160
	294/8ग	0.108
	294/7क	0.076
	42/1ख	0.064
	72/1क	0.120
	71/3ग	0.174
	78/2	0.178
	78/1	0.024
	294/8घ	0.140
योग	27	3.520

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-बंधनपुर व्यपवर्तन योजना की गोलाबुड़ा माइनर क्र. 3 हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/सह भू-अर्जन अधिकारी, धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश बंसल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 10 मार्च 2014

रा.प्र.क्र. 04 अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम (छ.ग.)
- (ख) तहसील-पंडरिया
- (ग) नगर/ग्राम-भुवालपुर, प.ह.नं. 40
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.299 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
255/1	0.146
256/11	0.146
255/5	0.109
256/5	0.024
181/3	0.206

(1)	(2)	(1)	(2)
181/4	0.138	159/2	0.073
181/1	0.081	161/3	0.081
256/12	0.146	161/7	0.077
256/10	0.150	150	0.085
182	0.032	151/1	0.081
160/1	0.056	151/3	0.085
256/4	0.049		
269/3	0.036	योग	3.299
277/1	0.146		
278/1	0.352		
280/1	0.194		
280/3	0.049		
281	0.194		
282/1	0.142		
157	0.109		
158	0.166		
159/1	0.146		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- रेगाबोंड़ (कुण्डा) व्यपवर्तन योजना हेतु प्रस्तावित है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), पंडरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. दयानंद, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 फरवरी 2014

क्रमांक/आब./स्था./2014/689.—छत्तीसगढ़ राज्य सेवा परीक्षा-2011 के आधार पर चयनित निम्नांकित उम्मीदवारों को आबकारी उप निरीक्षक (सेवा कार्यपालिक) के पद पर वेतनमान 5200-20200 ग्रेड वेतन 2800 में एवं समय-समय पर स्वीकृत भत्तों पर उनके उपस्थित होने के दिनांक से 2 वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाकर उन्हें उनके नाम के समक्ष दर्शाये जिले में आगामी आदेश पर्यन्त अस्थाई रूप से पदस्थ किया जाता है.

सरल क्र.	उम्मीदवार का नाम	पदस्थापना जिले का नाम
1.	श्री मलय सावित्रेय	दुर्ग
2.	श्री विकास कुमार साहू	कबीरधाम
3.	श्री रविशंकर पैंकरा	जगदलपुर बस्तर

उपरोक्त अभ्यर्थियों की नियुक्तियां निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन होगी.

1. उपरोक्त अभ्यर्थियों की परस्पर वरिष्ठता छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की चयन सूची के अनुसार रहेगी.

2. नियुक्त उम्मीदवार को आदेश प्राप्त होने की तारीख से 15 दिवस के भीतर आबकारी उप निरीक्षक के पद पर संबंधित नियुक्त किये गये जिले में उपस्थित होना अनिवार्य होगा अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा.

3. नियुक्त उम्मीदवारों को उनके उपस्थित होने पर स्वास्थ्य परीक्षण संबंधी मेडिकल रिपोर्ट उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ संबंधित जिले के अधिकारी को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. बिना चिकित्सा योग्यता प्रमाण पत्र के वेतन आहरण नहीं किया जायेगा तथा कार्य की गई अवधि का कोई वेतन देय नहीं होगा. मेडिकल बोर्ड द्वारा अयोग्य पाये जाने की स्थिति में अभ्यर्थी की सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जावेगी.

4. संबंधित उम्मीदवार की सेवायें किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते की राशि का भुगतान कर सेवायें समाप्त की जा सकती है.

5. चयनित उम्मीदवार को पदस्थीकरण के स्थान तक जाने के लिये किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा.

6. संबंधित उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत अनुप्रमाणन पत्र में चरित्र सत्यापन के संबंध में पुलिस विभाग से विपरीत टीका/प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, जो शासकीय सेवा में बाधक हो तो तत्काल सेवामुक्त करने की कार्यवाही की जायेगी.

7. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश परिपत्र क्रमांक एफ 13-4/2006/आ.प्र./1-3 दिनांक 31-3-2012 के कंडिका 3 (2) अनुसार उनकी नियुक्ति अनन्तिम है अभ्यर्थी के द्वारा उसकी जाति के प्रमाण पत्र का सत्यापन स्वत: छानबीन समिति से करवाकर 02 माह के भीतर सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी और यदि उक्त नियम अवधि में अभ्यर्थी छानबीन समिति द्वारा सत्यापित जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो अथवा छानबीन समिति के द्वारा सत्यापन के उपरांत उसका जाति प्रमाण पत्र फर्जी/गलत पाया जाता है तो बिना कोई कारण बताये पूर्वाग्रह के नियोक्ता द्वारा उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी. तथा झूठा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिये उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत यथोचित कार्यवाही की जा सकेगी. जाति प्रमाण पत्रों के सत्यापन उपरांत ही संबंधित कर्मचारी की नियुक्ति को अंतिम रूप से मान्य किया जावेगा.

8. शासकीय सेवा के दौरान उपरोक्त अधिकारीगण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 नियम 1962 छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1965 छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1966 शासित होंगे.

9. उपरोक्त अभ्यर्थी को संबंधित जिला कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के समय सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष मूल निवासी प्रमाण पत्र तथा शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाणपत्रों की मूलप्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. अभ्यर्थी द्वारा आयोग को नियुक्ति के पूर्व दी गई कोई भी जानकारी/प्रमाण पत्र गलत पाये जाने पर उसे बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावेगी.

10. चयनित अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संलग्न प्रारूप में एक बॉण्ड शासन के पक्ष में निष्पादित करना भी आवश्यक होगा कि वह परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण न कर पाने की दशा में परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा उस पर खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते एवं यात्रा व्यय शामिल होगा की वापसी के लिये उत्तरदायी रहेगा.

11. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पद पर नियुक्ति के संबंध में आरक्षण नियमों एवं आदेशों का पालन किया गया है.

आर. एस. विश्वकर्मा,
आबकारी आयुक्त.

कार्यालय, सक्षम अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), तहसील-डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

डभरा, दिनांक 20 दिसम्बर 2013

प्रारूप-घ
(नियम 6 देखिये)

क्रमांक 966.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है.) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी डभरा को अधिसूचना क्रमांक भाग-1/998 दिनांक 31 मई 2013 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में एन.टी.पी.सी. लारा परियोजना के लिये जल परिवहन द्वारा साराडीह बैराज से भूमिगत पाइप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 31 मई 2013 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाइप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइप लाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाइप लाईन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/प.ह.नं. (3)	खसरा नंबर (4)	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.) (5)
जांजगीर-चांपा	डभरा	चन्द्रपुर/25	391	0.160
			392	0.606
			393	0.121
			396	0.040
			388	0.101
			389/1, 2, 3	0.465
			56	0.121
			57/1, 2	0.121
			55	0.067
			60	0.080
			61/1, 2	0.240
			59	0.160
			62	0.080
			63	0.275
			66/1, 2	0.360
			44	0.765
			12	0.121
			13	0.080
			योग	**3.963**

के. के. शर्मा,
सक्षम अधिकारी एवं
अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 14th March 2014

No. 01/Vigilance/2014.—WHEREAS a departmental enquiry is being initiated against Shri Anestus Toppo, the then Additional District and Sessions Judge (F.T.C.) Bastar (Jagdalpur), presently posted as Chairman, Permanent Lok Adalat, Bilaspur for his grave misconduct.

AND WHEREAS serious nature of act of misconduct warrants his suspension from service.

Now pursuant to powers conferred on the High Court as Disciplinary Authority under sub-rule (1) of Rule 9 of the Chhattisgarh Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966, the High Court hereby places Shri Anestus Toppo, the then Additional District and Sessions Judge (F.T.C.) Bastar (Jagdalpur), Presently posted as Chairman, Permanent Lok Adalat Bilaspur under suspension with immediate effect in contemplation of departmental enquiry, The Head Quarter of Shri Anestus Toppo shall be at Bilaspur during pendencyof the departmental enquary. As regards payment of subsistence allowance, it shall be paid as per rules.

Bilaspur, the 14th March 2014

No. 2007/III-6-2/2007.—In exercise of the powers Conferred under clause (c) of sub-section (1) of Section 260 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh here-by specially empowers the following Judicial Magistrates First Class to try in a summary way all or any of the offences specified in the said Section :—

Sl. No. (1)	Name of the Judicial Magistrate First Class (2)	Present place of posting (3)	Civil District (4)
1.	Smt. Neeru Singh, J.M.F.C., Raipur	Raipur	Raipur
2.	Shri Lavkesh Pratap Singh Baghel, J.M.F.C., Raipur	Raipur	Raipur
3.	Smt. Chhaya Singh, J.M.F.C., Raipur	Raipur	Raipur
4.	Smt. Sushma Lakra, J.M.F.C., Raipur	Raipur	Raipur
5.	Smt. Shyamwati Maravi, J.M.F.C., Raipur	Raipur	Raipur
6.	Shri Manish Kumar Dubey, J.M.F.C., Raipur	Raipur	Raipur
7.	Ku. Pushplata Markande, J.M.F.C., Raipur	Raipur	Raipur
8.	Smt. Rashmi Netam, J.M.F.C., Raipur	Raipur	Raipur
9.	Shri Devendra Sahu, J.M.F.C., Tilda, District Raipur	Tilda	Raipur

Bilaspur, the 14th March 2014

No. 2009/III-6-1/2007 (Pt. I).—In exercise of the powers Conferred under sub-section (3) of Section 11 read with Section 32 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh hereby confers the powers of Judicial Magistrate First Class upon Shri Umesh Kumar Upadhyay, Judicial Magistrate Second Class, Rajim, District Raipur.

बिलासपुर, दिनांक 14 मार्च 2014

क्रमांक 2011/दो-15-19/2000.—दण्डप्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 13 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा राज्य शासन के अनुरोध पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, एतद्द्वारा श्री अभिजीत सिंह, परिवीक्षाधीन सहायक कलेक्टर, अंबिकापुर को यह आदेश प्राप्त होने के दिनांक से दो सप्ताह के लिए (एक सप्ताह मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में एवं एक सप्ताह सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में प्रशिक्षण हेतु) भारतीय दण्ड संहिता के अध्याय 10 (धारा 181 को छोड़कर), तेरह (धारा 281 और 295-क को छोड़कर), 15 एवं 19 तथा धाराएं 143, 151, 153, 154 से 160, 171, 323, 324, 337, 342, 357, 358, 374, 379, 403, 411, 414, 417, 426, 427, 428, 434, 448, 486, 489, 489-ई, 504, 508, 509 एवं 510 के अधीन दण्डनीय अपराधों, जो एक वर्ष के कारावास से अधिक दण्ड से दण्डनीय न हो, से संबंधित ऐसे मामलों के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी की शक्तियों से वेष्ठित करता है जो संबंधित क्षेत्र के मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा विचारण हेतु उन्हें सौंपे जावें.

No. 2011/II-15-19/2000.—In exercise of the powers conferred by Section 13 (1) of the Code of Criminal Procedue, 1973 (No. 2 of 1974) and on the request of the Government of Chhattisgarh the High Court of Chhattisgarh herebyConferred the powers of Judicial Magistrate of Second Class upon Shri Abhijeet Singh, Probationary Assistant Collector, Ambikapur for a period of 02 weeks (to take training for 01 week in the Court of CJM & 01 week in the Court of Sessions Judge) from the date of communication of this order to him relation to such cases and such offences as may be assigned to them by the Chief Judicial Magistrate of the respective areas under chapters 10 (Except Section 181), 13 (Except Sections 281, 295-A) 15 and 19 and Section 143, 151, 153, 154 to 160, 171, 323, 324, 337, 342, 357, 358, 374, 379, 403, 411, 414, 417, 426, 427, 428, 434, 448, 486, 489, 489-E, 504, 508, 509 and 510 of the Indian Penal Code, Provided that the offences are not punishable with imprisonment for more than one year.

By order of the Hon'ble High Court,
ASHOK KUMAR PANDA, Registrar General.